न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 56/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/ 00058)

यासीन खां पुत्र रहीम खां जाति कायमखानी निवासी कालूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री इदरीश अहमद चायल – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 03.11.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 21.3.2013 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (राजस्व) सरदारशहर जिला चूरू ने अपने निर्णय दिनाक 24.09.2012 के द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी धोषित करते हुए सरह पड़ता 30 पैसा प्रति बीधा के हिसाब से 50 गुणा 16.00 अक्षरे रूपया सोलह के अर्थ दण्ड से दण्दित कर मौके से बेदखल तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के कसूर मे अपीलान्ट यासीन खां को 15 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। तहसीलदार सरदारशहर के उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील जिला कलक्टर चूरू मे पेश कर उसे निरस्त करने तथा सिविल कारावास 15 दिवस व बेदखली आदेश को निरसत करने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.3.2013 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प चूरू में प्रस्तुत कर दोनो आदेशो को निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कैम्प कोर्ट चूरू के निर्णय दिनांक 18.04.2016 को खारिज की गई। उक्त अपील के विरूद्व एक रिवीजन राजस्व मण्डल अजमेर मे 983/2017 पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 10.03.2017 को रिमाण्ड किया गया। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 के आदेश /1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 की पालना में भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प चूरू द्वारा यह अपील इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि विवादित भूमि के आस –पास चारो तरफ आबादी बसी हुई है, पक्के मकान बने हुए है। इसी भूमि पर अपीलान्ट यासीन खां के पीढियो से पुरानी रिहायश व कब्जा होने से तहसीलदार सरदारशहर ने एक हजार गज भूमि का पट्टा दिनांक 14.04.81 को अपीलान्ट के हक में जारी शुदा है। जिसके 125 रूपये प्रीमियम 5 रूपये शास्ती कुल 130 रूपये अपीलान्ट ने राज्य सरकार में जमा करवा दिये। इसके अलावा ग्राम पंचायत ने भी अपीलान्ट के हक में इस भूमि बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि पट्टा धारक के विरूद्व किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है कि उसे उक्त भूमि से बेदखल किया जावे। जब तक अपीलान्ट का पट्टा निरस्त नही होता तब तक उक्त भूखण्ड से अपीलान्ट को बेदखल नही किया जा सकता है। अपीलान्ट यासीन खा एक वृद्व 85 साल का ग्राम कालूसर तहसील सरदारशहर का स्थाई निवासी है तथा पीढियो से अपना पक्का मकान बना कर परिवार सहित 50 वर्षो से अधिक समय से रिहायश कर रहा है। अपीलान्ट ने उक्त मकान में बिजली व पानी के कनेक्शन भी ले रखे हैं। अपीलान्ट अतिक्रमी की परिभाषा में नही आता है, पट्टा भूमि होने से धारा 91 एल आर एक्ट इस प्रकरण मे लागू नही होता है। अपीलान्ट से राजैतिक द्वेषता रखने वाले व्यक्तियो की झूठी शिकायत पर तहसीलदार ने यह गलत कार्यवाही की है। अतःअपील अपीलान्ट

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के दोनो आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार चूरू को रिमाण्ड किया जावे कि पट्टा पर बने मकानो का अपीलान्ट की उपस्थिति मे मौका देखकर उक्त स्थल के आस पास आबादी की स्थिति देखकर नियमन/अन्य न्यायोचित कार्यवाही करे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 21.3.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा जिला कलक्टर चूरू ने वादगत भूमि खसरा नं. 189 ग्राम कालूसर तहसील सरदारशहर को गैर मुमकिन जोहड़ पायतान भूमि साबित होने के आधार पर अपील खारिज की गई है। जिसके विरूद्व द्वितीय अपील भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर कैम्प कोर्ट चूरू के निर्णय दिनांक 18.04.2016 को खारिज की गई। उक्त अपील के विरूद्व एक रिवीजन सं. 983/2017 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे पेश की गई, जिसका निर्णय दिनांक 10.03.2017 को "This revision petition under section 84 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 is hereby partly allowed at the admission stage itself. The impugned judgment passed by learned Settlement Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Bikaner : Camp Court, Churu in appeal no. 2/2013 dated 18.04.2016 is hereby quashed and set aside. The said appeal is remanded back to the learned R.A.A. for adjudication after considering all the pleas railed by the appellant and by giving a reasoned judgment as per law. हुआ" अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सरदारशहर व जिला कलक्टर चूरू के समक्ष अपने जवाब/अपील में कथन किया कि वादगत भूमि का पट्टा तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दिनांक 14.04.81 को जारी किया हुआ है तथा वादगत भूमि ग्राम आबादी क्षेत्र में आती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिससे यह विवाद आबादी भूमि व खं. नं. 189 के सीमा विवाद का होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है क्योकि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयो ने सीमा विवाद तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पट्टे के संदर्भ में कोई निष्कर्ष अपने निर्णयो में उल्लेखित नही किया है। केवल मात्र खसरा नं. 189 के सदर्भ को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जिसे कायम रखा जाना उचित नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 21.03.2013 एवं तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 24.09.2012 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सरदारशहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में अपील में प्रस्तुत किये गये पट्टे की जांच कर आबादी भूमि व जोहड़ पायतान भूमि की सीमा का निर्धारण करते हुए समुचित निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर